भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1431
दिनांक 28 जुलाई, 2026 / 06 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध रोकथाम केंद्र

†1431. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री दुलू महतो:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री बिद्युत बरन महतो:

डॉ. भोला सिंह:

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

श्री मुरसोली एस. :

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्री शिवमंगल सिंह तोमर:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री देवुसिंह चौहान:

श्री शंकर लालवानी:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

श्री सुरेश कुमार कश्यप:

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1431, दिनांक 28.07.2026

श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्री अरुण गोविल:

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) ने अब तक क्या-क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं;

(ख) क्या साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि बचाई गई और नागरिक वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) 'सस्पेक्ट रजिस्ट्री' के माध्यम से अब तक कितने सिम (सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल) कार्ड और आईएमईआई (इंटरनेशनल मोबाइल इक्किपमेंट आइडेंटिटी) ब्लॉक किए गए हैं इसके अंतर्गत कितने म्यूल खातों/बैंक खातों को चिह्नित किया गया है;

(ङ) साइबर धोखाधड़ी रोकथाम केंद्र और 'प्रतिबिंब' मॉड्यूल के परिणाम क्या हैं, साथ ही गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र (एनसीटी) के अंतर्गत विधि प्रवर्तक अभिकरणों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी समेत

अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. दिनांक 30.06.2026 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 15.75 लाख से अधिक सिम कार्ड और 5.77 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, बैंकों से प्राप्त 30.48 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 32.08 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 25,698 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1431, दिनांक 28.07.2026

vii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SME) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 29,837 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी और 2,33,593 से अधिक साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

viii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

ix. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,63,344 से अधिक पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 1,61,957 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

x. देश में साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रशिक्षण से लैस साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर कमांडो कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समर्पित, कुशल कार्यबल का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों को समर्थन देने में सक्षम हो। 281 साइबर कमांडो ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

xi. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' , 'बैंक कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1431, दिनांक 28.07.2026

xii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र' (जिसे पहले राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) {एनसीएफएल (आई)} के नाम से जाना जाता था) स्थापित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, साइबर अपराधों से संबंधित 14,064 से अधिक मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

xiii. परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने और धन की लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल को अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कॉलर ट्यून अभियान, अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।
